

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 227/2019

बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,  
शाखा- वैशाली नगर, अजमेर (राज.)  
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

## बनाम

- (1) मैसर्स सानिया पोल्ट्री फार्म प्रो0 श्री मौहम्मद अहमद नूर पुत्र श्री नजीर मौहम्मद  
पता:- 166, गरीब नवाज कॉलोनी, गोगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज0)
- (2) श्री इमरान पुत्र श्री अब्दुल रहमान  
पता:- 54, मस्जिद के पास, ग्राम गोगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज0)
- (3) श्रीमती काफिया पत्नी श्री शरीफ मौहम्मद  
पता:- सरकारी स्कूल के पास, ग्राम गोगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज0)
- (4) श्री अहमद अली पुत्र श्री अहमद नूर,  
पता:- 173, पटवार भवन के पास, ग्राम गोगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज0)  
.....अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिकसट्क्शन  
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ  
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री सत्येन्द्र खोरानियों अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक 30.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स सानिया पोल्ट्री फार्म प्रो0 श्री मौहम्मद अहमद नूर पुत्र श्री नजीर मौहम्मद एवं श्री इमरान पुत्र श्री अब्दुल रहमान, निवासी:- 166, गरीब नवाज कॉलोनी, गोगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज.) को दिनांक 21.03.2018 को सावधि ऋण खाते में रु 15,00,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह लाख मात्र) एवं नकद साख ऋण खाते में रु 50,00,000/- (अक्षरे रुपये पचास लाख मात्र) कुल ऋण रु 65,00,000/- (अक्षरे रुपये पैंसठ लाख मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम गोगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज0) स्थित खसरा नं0 383 की पट्टा नं0 17 की आवासीय सम्पत्ति (क्षेत्रफल 98.60 वर्गगज), जो श्री इमरान पुत्र श्री अब्दुल रहमान के नाम से है, जिसके पूर्व में-श्री नाथू पुत्र श्री इज्जत बक्ष की सम्पत्ति, पश्चिम- श्री अब्दुल रहमान की सम्पत्ति, उत्तर - रास्ता, दक्षिण - श्री लाल मौ0 पुत्र श्री इब्राहिम की सम्पत्ति, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 08.07.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 20.08.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस सावधि ऋण खाते में रुपये 14,27,577/- (अक्षरे रुपये चौदह लाख सताईस हजार पांच सौ सहत्तर मात्र) एवं नकद साख ऋण खाते में रुपये 54,62,565/- (अक्षरे रुपये चौप्यन लाख बासठ हजार पांच सौ पैंसठ मात्र) कुल ऋण 68,90,142/- (अक्षरे रुपये अडसठ



*W. Harne*  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर

लाख नब्बे हजार एक सौ ब्यालीस मात्र)का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भालाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

पृष्ठ (3+4)

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति ग्राम गोगल, तहसील अजमेर, जिला अजमेर (राज0) स्थित खसरा नं0 383 की पट्टा नं0 17 की आवासीय सम्पत्ति (क्षेत्रफल 98.60 वर्गगज), जो श्री इमरान पुत्र श्री अब्दुल रहमान के नाम से है, जिसके पूर्व में-श्री नाथू पुत्र श्री इज्जत बक्ष की सम्पत्ति, पश्चिम- श्री अब्दुल रहमान की सम्पत्ति, उत्तर - रास्ता, दक्षिण - श्री लाल मौ0 पुत्र श्री इब्राहिम की सम्पत्ति, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्त कायदा जारी हो। आदेश आज दिनांक 30.12.2019 को सुनाया गया।



*(विश्व मोहन शर्मा)*  
(विश्व मोहन शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
अजमेर